केन्द्रीय जल आयोग
CENTRAL WATER COMMISSION

अनुस्मारक/अतितत्काल

सं0 ई–11011/09/2009/हिन्दी/
भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
केंद्रीय जल आयोग
हिन्दी अनुभाग

713, सेवा भवन,
आर के पुरम, नई दिल्ली
दिनांक 20 जून, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय:–राजभाषा विभाग की डिक्टेशन योजना के अंतर्गत वर्ष 2011–2012 में नामित अधिकारियों से कार्य का विवरण मंगाने तथा वर्ष 2012-13 में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों से नाम मंगाना।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कृपया समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन दिनांक 13 मार्च, 2012 का अवलोकन करें, जिसमें आयोग के अधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि जिन अधिकारियों ने 2011-12 की उक्त योजना में भाग लिया है अथवा भाग लेने के इच्छुक हैं, वे अपने नाम 27-04-2012 तक हिन्दी अनुभाग को भेज दें किन्तु अभी तक किसी अधिकारी ने अपना नाम नहीं भेजा है (सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि)।

पुनः अनुरोध है कि इच्छुक अधिकारी कृपया अपने नाम हर हालत में 27 जुलाई, 2012 तक हिंदी अनुभाग में अवश्य भेज दें। उसके पश्चात् प्राप्त नामों पर विचार करना संभव नहीं हो सकेगा।

भवदीय,

(शेर सिंह)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष : 011 26716029

सेवा में,

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) के सभी अधिकारी/अनुभाग/निदेशालय।

नीरज
22/6
उप निदेशक
शर्मा जी

(14)

फाइल सं या-11012/9/09-हिंदी

भारत सरकार
जल संसाधन मंत्रालय
केन्द्रीय जल आयोग
(हिंदी अनुभाग)

713 (द), सेवा भवन
आर.के.पुरम, नई दिल्ली--110066
दूरभाष सं0. 011-26716029
फैक्स सं0. 011-26177250

दिनांक: 13 मार्च, 2012

कार्यालय ज्ञापन

विषय :राजभाषा विभाग की डिक्टेशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में नामित अधिकारियों से कार्य का विवरण मंगाने तथा वर्ष 2012-13 में भाग लेने के इच्छुक अधिकारियों से नामांकन मंगाने के संबंध में।

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20015/62/88-राजभाषा (क-2), दिनांक 27 सितम्बर, 1988 के अनुसरण में संघ की राजभाषा हिन्दी का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोग के उन अधिकारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं जो साल में सबसे अधिक डिक्टेशन हिन्दी में देते हैं । **इस योजना के अंतर्गत 2 पुरस्कार, रखे गए हैं । इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी अधिकारी, जो सामान्यतया हिंदी में डिक्टेशन देते हैं, भाग ले सकते हैं।**

2. योजना की अवधि वित्तीय वर्ष रखी गई है । योजना में भाग लेने वाले अधिकारी उनके द्वारा हिन्दी में दिए गए डिक्टेशन के बारे में निर्धारित संलग्न प्रोफार्मा (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार अपना रिकार्ड रखेंगे जिसमें डिक्टेशन देने वाले अधिकारी का नाम, डिक्टेशन की तिथि और डिक्टेशन लेने वाले कर्मचारी का नाम अंकित होगा तथा दी गई डिक्टेशन की प्रतियां संबंधित फाइल क्रमांक के साथ रखी जाएंगी । यह रिकार्ड उनके स्टेनों, निजी सचिव भी रख सकते हैं। उनके सत्यापन का पूरा उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा ।
3. **उपर्युक्त योजना के अंतर्गत एक-एक हजार रूपए के 2 पुरस्कार हैं। जिन अधिकारियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, उड़िया, असमिया, मणिपुरी, कश्मीरी है, उन्हें नियमानुसार बोनस अंक दिए जाएंगे ।**
4. अतः अनुरोध है कि वर्ष 2012-2013 में भाग लेने वाले अधिकारी 1 अप्रैल, 2012 से हिन्दी में किए गए अपने सरकारी कार्य का रिकार्ड रखना प्रारम्भ कर दें और अपना नाम संलग्न प्रपत्र में भर कर हिन्दी अनुभाग को भेज दें ।
5. वे अधिकारी जिन्होंने वर्ष 2011-2012 के दौरान उक्त योजना में भाग लिया है, अपने कार्य का विवरण 27.04.2012 तक अनिवार्यतः कमरा नं. 713 (द), हिन्दी अनुभाग, सेवा भवन, नई दिल्ली-66 को भेजने की कृपा करें ।

(शेर सिंह)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष :011-26716029

सेवा में,

1. सभी मुख्य अभियंता, केन्द्रीय जल आयोग (मु.), नई दिल्ली ।
2. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
3. सभी निदेशक, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली ।
4. सभी अवर सचिव/शाखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी, के.ज.आयोग ।
5. सभी संबंधित अधिकारी ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव ।
2. सभी सदस्य, केन्द्रीय जल आयोग के निजी सचिव ।